रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082025-265455
CG-DL-E-18082025-265455

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947
No. 504] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 548(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जब से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के संबंध में आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल: comments-morth@gov.in के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र पंजीकरण और कार्य) संशोधन नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 के नियम 5 के खंड (ए) में, "चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म, सोसायटी, कंपनी हो" शब्दों के पश्चात्, "(जहाज तोड़ने और पुर्नचक्रण (रीसाइक्लिंग), प्लास्टिक पुर्नचक्रण और अन्य के लिए पुर्नचक्रक (रीसाइक्लर) सहित)" शब्द और अंक अंत: स्थापित किए जाएंगे;

[फा. सं. आरटी-23013/01/2019(खंड 1)-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 653(अ), दिनांक 23 सितंबर, 2021 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212(अ), दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2025

G.S.R. 548(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 56 (2) of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (Transport), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, in clause (a) of rule 5, after the words "be it a person, firm, society, Company", the words and figures "(including recyclers for ship breaking and recycling, plastic recycling and others)" shall be inserted;

[F. No. RT-23013/01/2019(Vol.1)-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 653 (E), dated 23rd September 2021 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 212 (E), dated 15th March 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.18 11:44:02 +05'30'